This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 20 अगस्त, 2025 / 29 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th August, 2025

No. HHC/GAZ/14-410/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave *w.e.f.* 11-08-2025 to 14-08-2025 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday

falling on 09-08-2025 and 10-08-2025 and suffix Gazetted holidays and Sunday falling *w.e.f.* 15-08-2025 to 17-08-2025 in favour of Ms. Priyanka Devi, Civil Judge-*cum*-JMFC, Anni, District Kullu, H.P.

Certified that Ms. Priyanka Devi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Priyanka Devi, would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Anni, District Kullu, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th August, 2025

No. HHC/Admn.E.5(12)/2022-CAO.—In continuation to earlier Notification No. HHC/Admn.E.5(12)/2022-CAO dated 07-05-2025, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order regular promotion/ appointment of **Smt. Meenakshi Thakur**, as Chief Administrative Officer *(Selection Post)* in the office of District and Sessions Judge Mandi, H.P., in the Pay Matrix Level 17.

Hon'ble Chief Justice has further been pleased to order her notionally promoted in the above Pay Matrix Level 17 *w.e.f.* 28-04-2023.

Hon'ble Chief Justice has further been pleased to order that Smt. Meenakshi Thakur, aforesaid is also entitled for the arrears of pay for the period of notional promotion preceding the actual promotion.

.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th August, 2025

No. HHC/Admn.16(22)75-V-Part File.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint S/Sh. Layak Ram (HIM/257/2018), Baldev Singh (HIM/303/2022) and Ms. Rajni (HIM/354/2018), Advocates as Oath Commissioners at Shillai for a period of two years with effect from administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-
Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th August, 2025

No. HHC/Admn.16(9)74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Sh. Mohit Thakur (HIM/696/2024), Ms. Diksha (HIM/125/2024), Sh. Tape Ram (HIM/37/2024), Ms. Susheela (HIM/649/2022), Ms. Nitu (HIM/654/2022), Sh. Himanshu (HIM/08/2024), Sh. Lakhan Pal (HIM/321/2024) and Ms. Sapna (HIM/888/2023), Advocates as Oath Commissioners at Mandi, for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-
Registrar (Administration).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
34 / NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	01—08—2025	29—08—2025

सुश्री हीना कुमारी पुत्री चमन लाल, वासी मोहाल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)
.. वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री हीना कुमारी पुत्री चमन लाल, वासी मोहाल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया सुश्री हीना कुमारी पुत्री चमन लाल, वासी मोहाल बैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 17–11–1993 को ग्राम पंचायत बैरी में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 29–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 07–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
06 / NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	24–02–2025	29–08–2025

सुश्री कान्ता देवी पुत्री बाबू राम, वासी मोहाल बडैई, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री कान्ता देवी पुत्री बाबू राम, वासी मोहाल बडैई, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया सुश्री कान्ता देवी पुत्री बाबू राम, वासी मोहाल बडैई, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 25–09–1972 को ग्राम पंचायत करोट में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत करोट में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत करोट में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी

29–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 07–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
35 / NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	11–08–2025	29–08–2025

सुश्री मोनिका पत्नी संजीव कुमार, वासी मोहाल हन्दो दी धार, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री मोनिका पत्नी संजीव कुमार, वासी मोहाल हन्दो दी धार, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया सुश्री मोनिका पत्नी संजीव कुमार, वासी मोहाल हन्दो दी धार, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र दिनेश कुमार पुत्र संजीव कुमार का जन्म दिनांक 25–10–2018 को ग्राम पंचायत जन्दडू में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत जन्दडू में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत जन्दडू में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 29–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 11–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

कार्यालय उप–मण्डलाधिकारी (ना0) निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

क्रमांक : 1029 / S.D.K. दिनांक : 30–07–2025

घोषणा

विषय.––Diversion of 0.9486 hactare of additional forest land for Luhri HEP Stage-1 (210MW), Bayal, Kullu for the construction of approach road for Moin quarry site within the jurisdiction of Nirmand Tehsil, Distt. Kullu, Himachal Pradesh regarding execution of lease deed thereof.

उपरोक्त विषय में जनरल मेनैजर (SJVNL) ने अधोहस्ताक्षरी के पास बराये पत्र क्रमांक SJVN/LHEP-1/ENV/F-69/V-3/2024-1027, दिनांक 24–08–2024 द्वारा स्थानीय निवासियों / हितबद्ध व्यक्तियों के अन्नापत्ति प्रमाण–पत्र प्रारूप(डी) पर प्रदान करने के लिए आवेदन किया है।

अतः इस घोषणा पत्र से सभी स्थानीय निवासियों / हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि किसी को गांव मोइन फाटी नित्थर, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के टुकडा नं0–1 में मोइन क्वारी साईट (MOIN quarry site) तक SJVNL द्वारा सड़क निर्माण हेतु सरकारी भूमि पट्टे पर प्रदान करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस घोषणा के प्रकाशित हो जाने के एक माह के अन्दर लिखित रूप में स्वयं या अपने किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नायब तहसीलदार नित्थर के पास कर सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करने के पश्चात् यदि उचित पाया गया तो नियमानुसार अन्नापत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी कर दिया जायेगा। प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकार्ड उप–तहसील नित्थर के कार्यालय के साथ–साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 24 / NCNT / 2025 तारीख मरजुआ : 01–08–2025

बिज राम पुत्र सूरचन्द, निवासी गांव किशोरी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त बिज राम पुत्र सूरचन्द, निवासी गांव किशोरी, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र

मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल D.P.F. गिलडिंग में प्रार्थी का नाम बिजे राम व महाल किशोरी में विजे राम दर्ज कागजात है, जोकि गलत हैं जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम बिज राम है जो सही है। अब प्रार्थी महाल D.P.F. गिलडिंग व महाल किशोरी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर बिज राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उदयपुर, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)**

संख्या : 25 / NCNT / 2025 तारीख मरजुआ : 01–08–2025

रिगजिन अंगमो पत्नी निर्मल सिंह, निवासी गांव जुण्डा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त रिगजिन अंगमो पत्नी निर्मल सिंह, निवासी गांव जुण्डा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल गालिंग, महाल जुण्डा, महाल तलजोन, महाल लोमच, महाल जहालमा में प्रार्थिया के पति का नाम निर्मल दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थिया के पति का नाम निर्मल सिंह है जो सही है। अब प्रार्थिया महाल गालिंग, महाल जुण्डा, महाल तलजोन, महाल लोमच, महाल जहालमा के राजस्व अभिलेख में अपने पति का नाम दुरुस्त कर निर्मल सिंह करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा

कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उदयपुर, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 26/NCNT/2025 तारीख मरजुआ : 01–08–2025

प्रेम भगत पुत्र हरी दास, निवासी गांव जुण्डा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रेम भगत पुत्र हरी दास, निवासी गांव जुण्डा, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल गालिंग, महाल जुण्डा, महाल तलजोन, महाल लोमच, महाल जहालमा में प्रार्थी के पिता का नाम हर दास दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ–पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम हरी दास है, जो सही है। अब प्रार्थी महाल गालिंग, महाल जुण्डा, महाल तलजोन, महाल लोमच, महाल जहालमा के राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम दुरुस्त कर हरी दास करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उदयपुर, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल–स्पीति (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
32/Marriage/T/U/2025	विवाह पंजीकरण	12–08–2025	28–08–2025

1. श्री सुनील कुमार पुत्र चन्द्र मोहन, वासी गांव व डाकघर डगोली, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 व समृति हाल पत्नी सुनील कुमारी पुत्री राकेश कुमार, वासी गांव व डाकघर चढतगड, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी''।

प्रार्थना–पत्र.––शादी पंजीकरण श्री सुनील कुमार पुत्र चन्द्र मोहन, वासी गांव व डाकघर डगोली, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण के इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 14–02–2025 को समृति हाल पत्नी सुनील कुमार पुत्री राकेश कुमार, वासी गांव व डाकघर चढतगड, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि के लिए आधार कार्ड, शपथ–पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः ''इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पांनगी'' के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 28–08–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,
तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

––––––––––

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171005, the 20th August, 2025

No. P&S.103/74 (Stha.)-VI-5372-83.—Proposals were sent to the Government by this department *vide* letter No. P&S.103/74 (Stha.)-VI-4490, dated 28-08-2024, letter of even No. 5484, dated 08-10-2024 and even No. 39, dated 03-01-2025 to seek approval to fill up 72 vacant posts of different categories by direct recruitment wherein 03 vacant posts of Peon category were also included.

In this regard, approval was received from the Government *vide* letter No. P.S.D.-B01/3/2023, dated 17-01-2025 to fill up 33 different vacant posts by direct recruitment on contract/daily wage/outsource basis out of above 72 posts including 02 (Two) posts of Multi Task Workers (in place 02 Peons) which are to be filled up on daily wage basis by abolishing equal number of posts of Peon in the department.

The department has filled up 02 posts of Multi Task Worker (MTW) on daily wage basis by direct recruitment on 28-05-2025 after completing all codal formalities as per abovesaid Government approval dated 17-01-2025.

Therefore, 02 (Two) permanent vacant posts of Peon, Group-D, Pay Level-1 (Rs.18000-56900) of the pay matrix attached with the time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022, appearing in the Major Head-2058-Stationery and Printing-101-Purchase and Supply of Stationery Stores-01-SOON under Demand No. 24, are hereby ordered to be abolished retrospectively *w.e.f.* 28-05-2025.

Sd/-
(PRABHA RAJEEV, IAS),
Controller,
Printing and Stationery Deptt.,
Himchal Pradesh.

CHANGE OF NAME

I, Sandeep Thakur s/o Sh. Shyam Singh, r/o V.P.O. Arhal, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Sandeep Kumar to Sandeep Thakur. All concerned please may note.

SANDEEP THAKUR
s/o Sh. Shyam Singh,
r/o V.P.O. Arhal,
Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Omkar Singh s/o Late Lekh Raj, r/o House No. 379, Vill. Jukain, P.O. Nabahi Devi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Omkar Rana to Omkar Singh for all purposes in future. Please note.

OMKAR SINGH
s/o Late Lekh Raj,
r/o House No. 379,
Vill. Jukain, P.O. Nabahi Devi,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Prem Chand s/o Chander Lal, Village Gokswari, P.O. Sindasli, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Aarvi Gindiyan is wrongly mentioned as Gunu in her Aadhar Card. Therefore it should be changed to Aarvi Gindiyan in her Aadhar Card. Note the relevant information.

PREM CHAND
s/o Chander Lal,
Village Gokswari, P.O. Sindasli,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jitender Kumar s/o Sh. Dharam Singh Saini, r/o Village Kishan Pura, Ganguwala, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that name of my minor son in his Aadhar Card wrongly recorded as Sameer Singh, whereas his correct name is Shyam Saini. All concerned please may note.

JITENDER KUMAR
s/o Sh. Dharam Singh Saini,
r/o Village Kishan Pura, Ganguwala,
Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Praveen Kumar s/o Balak Ram, r/o Village & P.O. Khurahal, Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is recorded as Parveen Kumar. My real and actual name is Praveen Kumar as per bonafide & educational certificate etc. All concerned please note.

PRAVEEN KUMAR
s/o Balak Ram,
r/o Village & P.O. Khurahal,
Tehsil Sunder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ajay Kumar s/o Kehar Singh, Village Kundli Har, P.O. Karyara, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.) declare that my daughter's name is Aditi Thakur. But her PO address and her name is wrongly recorded as Diti Thakur and P.O. Kariyara in Aadhar Card. In birth certificate her name is recorded as Aditi Thakur. It is declare that Diti Thakur and Aditi Thakur are the name of the same person. In future she may be known for all purposes as Aditi Thakur d/o Ajay Kumar, Village Kundli Har, P.O. Karyara, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.).

AJAY KUMAR
s/o Kehar Singh,
Village Kundli Har, P.O. Karyara,
Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pardeep Singh s/o Sh. Karnail Singh, r/o Village Basnar, P.O. Fattu-Ka-Bagh, Sub-Tehsil Gangath, Distt. Kangra (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor son his name is wrongly entered as Shivam, whereas his correct name is Shiv Kumar. All concerned please note.

PARDEEP SINGH
s/o Sh. Karnail Singh,
r/o Village Basnar, P.O. Fattu-Ka-Bagh,
Sub-Tehsil Gangath, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manik aged 19 years s/o Sh. Pawan Kumar, r/o Village Ghoran, P.O. Bhojpur, Tehsil Indora, District Kangra (H.P.)-176 402 declare that I have changed my name from Manik to Manik Kashyap *vide* affidavit dated 02-08-2025.

MANIK
s/o Sh. Pawan Kumar,
r/o Village Ghoran, P.O. Bhojpur,
Tehsil Indora, District Kangra (H.P.)-176 402.

CHANGE OF NAME

I, Lata Devi w/o Rinku Ram, Village Limbra, P.O. Todsa, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that name of my son Yuvin is wrongly mentioned as Youbin in his Aadhar Card. Therefore it should be changed toYuvin in his Aadhar Card. Note the relevant information.

LATA DEVI
w/o Rinku Ram,
Village Limbra, P.O. Todsa,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Pambrey Kumar s/o Late Roshan Lal, r/o Village & P.O. Anshui, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in my daughter Charu Sharma's educational documents wrongly entered as Pambrey Kumar Sharma, whereas my correct name is Pambrey Kumar.

PAMBREY KUMAR
s/o Late Roshan Lal,
r/o Village & P.O. Anshui,
Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Samila w/o Sh. Kanwar Singh, V.P.O. Dodra, Tehsil Dodra-Kwar, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my son Krishan is wrongly mentioned as Kaku in his Aadhar Card. Therefore, it should be changed to Krishan in his Aadhar Card. Note the relevant information.

SAMILA
w/o Sh. Kanwar Singh,
V.P.O. Dodra,
Tehsil Dodra-Kwar, Distt. Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।